भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1551

जिसका उत्तर 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है।

19 अग्रहायण, 1943 (शक)

निजता के उल्लंघन संबंधी शिकायतें

1551. श्री नीरज डांगी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा निजता के उल्लंघन संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निजता के उल्लंघनों को रोकना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए आंकड़ों के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियमावाली, 2000 की धारा 66ङ के तहत निजता के उल्लंघन के कुल 389, 812 और 742 मामले वर्ष क्रमशः 2018, 2019 और 2020 के दौरान दर्ज किए गए थे। नवीनतम डेटा 2020 से संबंधित है । अधिनियमावाली की धारा 66ङ निजता के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान करती है। इन मामलों का राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निपटान किया जाता है।

(ग) : सरकार खुले, सुरक्षित और भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट के लिए प्रतिबद्ध है जहां मध्यस्थों द्वारा हमेशा सभी भारतीय ऑनलाइन, विशेष रूप से भारत के संविधान में दिए गए अनुच्छेद 14, 19 और 21 के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। सरकार ने लोगों की डिजिटल सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:

(i) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियमावाली, 2000 में महिलाओं और बच्चों से संबंधित साइबर अपराधों सहित प्रचलित साइबर अपराधों से निपटने के प्रावधान हैं। अधिनियमावाली की धारा 66ङ दैहिक निजता गोपनीयता के उल्लंघन के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है।

(ii) इसके साथ ही, आईटी अधिनियमावाली की धारा 72क कानूनी अनुबंध के उल्लंघन में सूचना के प्रकटीकरण के लिए दंड का प्रावधान करती है।

(iii) सूचना तक अनधिकृत अभिगम और संवेदनशील निजी सूचना सामग्री के रिसाव के मामले में आईटी अधिनियमावाली, 2000 की धारा 43क पीड़ित को मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान करती है। ऐसी शिकायतों का निपटारा राज्यों में नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किया जाता है।

(iv) आईटी अधिनियमावाली के तहत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावाली, 2021 विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए नागरिक सुरक्षा से संबंधित है। इन नियमावालियों में यह अपेक्षित है कि माध्यस्थ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सम्यक सावधानी बरतेगें और माध्यस्थ अपने प्रयोगक्ताओं को किसी भी सूचना सामग्री को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, अद्यतन या साझा न करने के लिए सूचित करेंगे जो किसी अन्य बातों के साथ-साथ गम्भीर रूप से हानिकारक, अपमानजनक, अश्लील और आक्रामक या किसी अन्य ढंग से गैर कानूनी है। मध्यस्थ भी नियमावाली में निर्धारित किए गए शिकायत निवारण तंत्र का अभिग्रहण करेगा। माध्यस्थों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे किसी न्यायालय के आदेश या समुचित सरकार या इसकी अधिकृत एजेंसी नोटिस द्वारा संज्ञान में लाए जाने पर भारत में किसी गैरकानूनी सूचना सामग्री को हटाएगें।

(v) इसके अलावा, इन नियमावालियों के नियम 3(2)(ख) में प्रावधान है कि किसी मध्यस्थ द्वारा शिकायत पर 24 घंटों के भीतर, ऐसी किसी भी सूचना सामग्री को हटा दिया जाएगा जो प्रथम दृष्टया किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्र को उजागर करती है, ऐसे व्यक्ति को पूर्ण रूप से दिखाती है या आंशिक नग्नता या ऐसे व्यक्ति को किसी भी यौन क्रिया या आचरण में दिखाती या दर्शाती है, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिरूपण की प्रकृति में है, जिसमें ऐसे व्यक्ति की कृत्रिम रूप से रूपांतरित छवियां शामिल हैं।

(vi) एमईआईटीवाई ने 2019 के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पेश किया है। विधेयक को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजा गया है।

****